सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्याः— 02/प्रा0पत्र/2025 **दायरा दिनांक :— 02.01.2025**

1. सोनू आ0 धर्मराज जाति मीणा निवासी बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सुनिता पुत्री धर्मराज जाति मीणा निवासी बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. गोकुल आ0 हरदेव जाति मीणा निवासी बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थीगण :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 30/04/2025

निर्णय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1486 रकबा 1.0765 हैक्टेयर वाके ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। ग्राम बसोली के खसरा संख्या 1358 में गे0मु0रास्ता बना हुआ है जिस पर अबड जाने वाली सडक बनी हुई है। उक्त पक्की सडक के सहारे खसरा संख्या 1490 गे0मु0बरडा भूमि स्थित है और उक्त रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 1358 के दक्षिण साईड पर स्थित खसरा संख्या 1490 में 15 फिट चौडा रास्ता मौके पर बना हुआ है जो आगे रिकॉडैड रास्ता खसरा संख्या 1381 में मिलता है तथा खसरा संख्या 1381 के बाद खसरा संख्या 1381 में होकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1486 पर आते जाते हैं। मौके पर स्थित व प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है जो प्रार्थना पत्र का भाग है। खसरा संख्या 1490 व 1384 गे0मु0बर्डा राजकीय सिवायचक भूमि है जिसकी स्वामी राज्य सरकार है तथा खसरा संख्या 1490, 1384 के बीच बना हुआ रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1381 की स्वामी भी राज्य सरकार है। राजकीय सिवायचक भूमि पर भू—माफियों द्वारा अतिक्रमण करने की होड लगी हुई और इसी के चलते राजकीय सिवायचक भूमि खसरा संख्या 1490 व 1384 में मौके पर बने रास्ते पर अतिक्रमण करने का भू—माफियों द्वारा प्रयास किया जा रहा है साथ ही उक्त सिवायचक भूमि की आड में गे0मु0 आबादी खसरा संख्या 1383 के समीप बने हुए रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 1381 को भी अवरूद्ध करने पर उतारू

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

रहते है ऐसी स्थिति में प्राथीगण की भूमि पर आने जाने हेतु खसरा संख्या 1490 व 1384 की भूमि पर रास्ता घोषित कराने के अलावा व 1381 रिकॉडेड रास्ते को सुचारू कराने के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1486 पर आने जाने के लिए प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है और खसरा संख्या 1490 व 1384 में रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज नहीं होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आने जाने हेतु उक्त खसरा संख्या 1490 व 1384 में 15 फिट चौडे रास्ता घोषित करवाकर रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर खसरा संख्या 1490, 1381 व 1384 में रास्ते को सुचारू करवाना चाहते है। प्राथीगण रास्ते में अवाप्त भूमि की प्रतिकर राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1486 पर आने जाने हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता नहीं होने से रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1358 के दक्षिण में स्थित खसरा संख्या 1490 में संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार 15 फिट चौडा रास्ता रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1381 तक व रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 1381 से खसरा संख्या 1384 में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1486 तक संलग्न नजरी नक्शा 'अ' अनुसार 15 फिट चौडा रास्ता घोषित करवावे एवं उक्त घोषित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर रास्ते की नक्शे में तरमीम करवावे एवं खसरा संख्या 1490, 1381 व 1384 में रास्ते को सुचारू करवावे। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1486 व चाहे गये रास्ते की भूमि खसरा संख्या 1490 व 1384 वाके ग्राम बसोली तहसील हिण्डोली में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना पत्र है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बसोली के रिकॉर्ड रास्ता खसरा संख्या 1358 के दक्षिणी ओर स्थित खसरा संख्या 1490 में प्रस्तावि रास्ते के अनुरूप रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 1381 तक व खसरा संख्या 1381 से खसरा संख्या 1384 में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1486 तक प्रस्तावित 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर नक्शे में रास्ते की तरमीम कर भूमि खसरा संख्या 1490, 1381 व 1384 में रास्ते को सुचारू करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :–राजस्व/25/835 दिनांक :–22.04.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1486 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 1490 व 1384 जो कि राजकीय सिवायचक भूमियॉ है, में से होते हुए 15 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

घोषणा की जावे। प्रार्थीगण इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1384 व 1490 में से 12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 162 के खसरा संख्या 1486 वाके ग्राम बसोली पटवार मण्डल बसोली में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बसोली के खसरा नम्बर 1384 में से 32 मीटर लम्बा व 4 मीटर चौडा में कुल 0.0128 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1490 में से 250 मीटर लम्बे व 4 मीटर चौडे रास्ते में कुल 0.1000 हैक्टेयर भूमि कुल भूमि 0.1128 हैक्टेयर काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 780000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.1128 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 87984/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 175968/रू– को प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित मद में जरिये चालान जमा करवाकर चालान की प्रति न्यायालय में पेश करने के उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 30.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/04/2025
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446